एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता

सामग्री

1. परिचय 3

2. मार्गदर्शक सिद्धांत 3

3. क्रेडिट आवेदन पत्र (सीएएफ) और उनका प्रसंस्करण 3

4. क्रेडिट मूल्यांकन और नियम/शर्तें 4

5. नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव सहित संवितरण 6

6. पोस्ट संवितरण पर्यवेक्षण 7

7. सामान्य 7

8. बैंकों द्वारा सूचना का प्रदर्शन 8

9. शिकायतें, शिकायतें और प्रतिक्रिया 9

10. मुख्य कथन/फैक्ट शीट 9

11. शब्दावली 9

1. परिचय

उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता बैंक के उधारकर्ताओं, सह-आवेदकों और गारंटरों (इस दस्तावेज के शेष भाग में सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" या "आवेदक" के रूप में संदर्भित, जैसा कि संदर्भ में अपेक्षित है) के साथ बैंक के लेनदेन के संबंध में एक पारदर्शी और स्पष्ट नीति निर्धारित करती है। यह नीति बैंक द्वारा प्रस्तावित सभी उधार उत्पादों के लिए लागू है।

2. मार्गदर्शक सिद्धांत

यह नीति दस्तावेज बैंक द्वारा पेश किए गए विभिन्न उधार उत्पादों के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक से जुड़े नियमों और शर्तों के पूरे डिजाइन और कामकाज को नियंत्रित करता है। यह पॉलिसी दस्तावेज उधारकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है और संभावित उधारकर्ताओं को आवेदन, प्रसंस्करण, पोस्ट संवितरण गतिविधियों, सेवा और ऋण को बंद करने के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले एक सहायक उपकरण के रूप में काम करेगा। बैंक की "देय राशियों की वसूली और प्रतिभूति का पुनराहरण" पर एक अलग नीति है जिसमें ऐसे दिशानिर्देश दिए गए हैं जिनका बैंक और इसके नामित अधिकारियों द्वारा अतिदेय ऋण सुविधाओं को एकत्र करते समय और प्रतिभूति को पुनः प्राप्त करते समय अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।

3. क्रेडिट आवेदन पत्र (सीएएफ) और उनका प्रसंस्करण

3.1. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वह आवेदक द्वारा सीएएफ के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट के साथ सीएएफ मुफ्त उपलब्ध कराए। बैंक सामान्यतः प्रस्तुत करते समय प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सभी विवरण एकत्र करेगा। बैंक उधारकर्ता से एक घोषणा प्राप्त करेगा जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन के लिए इनपुट के रूप में अन्य बैंकों से उनके द्वारा लिए गए ऋण की सीमा का उल्लेख होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न बैंकों से ऐसा आवास किसी एक कंपनी या कंपनियों के समूह के शेयरों के खिलाफ प्राप्त नहीं किया गया है। यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो बैंक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक से संपर्क करेगा।

3.2. क्रेडिट आवेदन पत्र (सीएएफ) जानकारी के संदर्भ में संपूर्ण होगा, चाहे क्रेडिट सुविधा का प्रकार और राशि कुछ भी हो। क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्कों के बारे में जानकारी होगी जैसे:

- शुल्क जो लोन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क को प्रोसेस करने के लिए लागू होता है
- आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में शुल्क वापस कर दिया जाएगा
- दंड प्रभार जो देरी से पुनर्भुगतान के लिए लिया जा सकता है।

- प्री-पेमेंट और अन्य विविध शुल्कों के विकल्प, यदि कोई हो.
- रूपांतरण शुल्क जो क्रेडिट सुविधा प्रकार को फिक्स्ड से फ्लोटिंग में बदलने के लिए लागू हो सकते हैं, और इसके विपरीत।

3.3. कोई अन्य शुल्क जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करता है। सभी आवेदकों के लिए क्रेडिट आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए एक पावती प्रदान की जाएगी। क्रेडिट आवेदन पत्र के प्रसंस्करण के संबंध में समय सीमा उसी में इंगित की जाएगी।

अस्वीकृति की स्थिति में, बैंक लिखित रूप में ("ग्राहक की रुचि नहीं होने के मामले को छोड़कर" को छोड़कर) मुख्य कारण (कारणों) को सूचित करेगा, जिसके कारण बैंक के आंतरिक जोखिम दिशानिर्देशों के आधार पर क्रेडिट सुविधा की अस्वीकृति हुई है, आमतौर पर उचित समय अवधि के भीतर।

3.4. एक समय सीमा निर्धारित करने से संबंधित प्राधिकार जिसके भीतर बैंक आवेदकों को अपने ऋण निर्णय की सूचना देता है, संबंधित उत्पाद स्वामियों के पास निहित होगा और बैंक द्वारा उधारकर्ता के साथ साझा किए गए ऋण आवेदन पत्र या पावती रसीद में दर्शाया जाएगा।
हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹ 25 लाख तक के ऋण के लिए क्रेडिट निर्णय 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगा।

4. क्रेडिट मूल्यांकन और नियम/शर्तें

चार.एक. ऋण सुविधाएं स्थापित हामीदारी मानदंडों के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं जो बैंक की आंतरिक ऋण नीति नियमावली में विस्तृत है। क्रेडिट अधिकारी क्रेडिट प्रस्तावों को मंजूरी देते समय क्रेडिट नीतियों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

4.2. बैंक संभावित उधारकर्ता की ऋण योग्यता और ऋण आवश्यकता का समग्र मूल्यांकन करेगा। बैंक उधारकर्ताओं के एक वर्ग को पूरा करता है जिनके पास अपनी आय को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। बैंक ने ग्राहकों के इस खंड की क्रेडिट योग्यता और क्रेडिट आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए विशेष कौशल विकसित किए हैं। बैंक उचित स्तर का यथोचित परिश्रम करेगा जो उसकी जोखिम क्षमता, बैंक की ऋण नीतियों और प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

4.3. बैंक सीएएफ में उल्लिखित व्यावसायिक पते/निवास पर कर्मचारियों/नामित अधिकारी के माध्यम से आवेदकों से संपर्क करके सीएएफ में उल्लिखित विवरणों को सत्यापित करेगा।

4.4. बैंक आवेदक को नियम और शर्तों के साथ क्रेडिट शर्तों से अवगत कराएगा और रिकॉर्ड पर उनकी पूरी जानकारी के साथ इसकी स्वीकृति प्राप्त करेगा।

चार.पाँच. ऋण सुविधाओं को मंजूरी देने के मामले में, बैंक ऋण सुविधा करार में सहमत ऋण सुविधाओं को शासित करने वाले निबंधन और शर्तों तथा अन्य सूचनाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा जो बैंक और उधारकर्ता के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में कार्य करेंगे। बैंक सभी ऋण सुविधा समझौते की प्रमाणित प्रतियों को उधारकर्ता को पहली बार में और बाद में अनुरोध पर सूचीबद्ध संलग्नकों के साथ मुफ्त में आपूर्ति करेगा।

4.6. बैंक आवेदक को सहमत शर्तों पर स्वीकृत क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति देगा, हालांकि निम्नलिखित शर्तों सहित स्वीकृत सीमा से परे आहरण के लिए, निर्णय पूरी तरह से बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा:

4.6.1. ऐसे आहरण जो स्वीकृत सीमा से अधिक हों जैसा कि क्रेडिट आवेदन पत्र में बताया गया है।
4.6.2. किसी ऐसे खाते में आहरण जिसे अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।
4.6.3. क्रेडिट आवेदन पत्र में उल्लिखित और सहमत के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए चित्र।

4.7. नए क्रेडिट जारी करने के संबंध में कोई भी निर्णय आवेदक के नए क्रेडिट मूल्यांकन/उचित परिश्रम के बाद बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

4.8. ग्राहक द्वारा अनुरोध की गई मौजूदा क्रेडिट सुविधा में कोई भी परिवर्तन/वृद्धि बैंक की आंतरिक नीतियों और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बैंक के विवेकाधिकार पर होगी।

4.9. एसएचजी/जेएलजी को माइक्रोफाइनेंस और ऋण के मामले में, बैंक पहले उधारकर्ता के समूह के गठन का निर्णय लेगा और फिर आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा।

चार.दस. बैंक आवेदकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सेवाओं और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग कर सकता है। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वह संभावित उधारकर्ता को ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) की भूमिका के बारे में निम्नानुसार बताएगा:

- बैंक सभी संभावित उधारकर्ताओं के ऋण विवरण की रिपोर्ट सीआईसी (कंपनियों) को करेगा।
- बैंक नियामक प्राधिकरण द्वारा सीआईसी (आसूचना सूचना आयुक्तों) को दिए गए सुझाव के अनुसार आवधिक अंतरालों पर उपर्युक्त सूचना को अद्यतन और रिपोर्ट करेगा.
- बैंक में ऋण के बारे में जानकारी भी शामिल होगी, भले ही उधारकर्ता चुकौती अनुसूची से पीछे हो गया हो, या बकाया राशि विवाद में हो या उधारकर्ता ने सीआईसी (ओं) को रिपोर्ट करते समय ऋण चुकाने के लिए असंतोषजनक प्रस्ताव किए हों।
- यदि उधारकर्ता का ऋण सुविधा खाता चूक गया है, और उसके बाद नियमित किया गया है, तो बैंक अगली रिपोर्ट में सीआईसी (ओं) के साथ ऐसी जानकारी अपडेट करेगा।

- बैंक, अनुरोध और मामूली शुल्क के भुगतान पर, सीआईसी से प्राप्त क्रेडिट जानकारी की एक प्रति प्रदान करेगा।
- बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सीआईसी (ओं) को खाता विवरण के बारे में अद्यतन रखा जाए, यदि यह 'घटिया' होने की अवधि के बाद और/या बैंक की संतुष्टि के लिए खाता नियमित/बंद होने के तुरंत बाद 'मानक' हो जाता है।

5. नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव सहित संवितरण

पाँच.एकबैंक इसे शासित करने वाले सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन के बाद स्वीकृत क्रेडिट सुविधा का समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा।

पाँच.दो बैंक टर्म लोन के लिए एमॉर्टाइजेशन शेड्यूल भी प्रदान करेगा।

पाँच.तीन उधारकर्ताओं को समय-समय पर मंजूरी की शर्तों के अनुसार ऋण सुविधाओं की निगरानी और समीक्षा करने के लिए समय-समय पर जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी और जब भी बैंक को लगता है कि उसे किसी ऐसी घटना के मामले में जानकारी की आवश्यकता है जो उधारकर्ता के व्यवसाय और/या बैंक की सुविधाओं पर भौतिक प्रभाव डाल सकती है।

पाँच.चार ऋण सुविधाओं का नवीकरण उधारकर्ता द्वारा ऊपर दी गई सुविधाओं की आवधिक समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी/प्रलेखन प्रदान करने के साथ-साथ क्रेडिट सुविधा समझौते में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों में उल्लिखित सुविधाओं की नवीकरण तिथि से पहले प्रदान करने पर आधारित होगा।

पाँच.पाँच बैंक इस बात की समीक्षा कर सकता है कि उधारकर्ता के बारे में नई सूचना उपलब्ध होने अथवा ज्ञात होने की स्थिति में आगे आहरण की अनुमति दी जाए या नहीं।

पाँच.छः बैंक लिखित रूप में ब्याज दरों या सेवा शुल्क जैसे नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव को सूचित करेगा (जैसे प्रिंट, ईमेल आदि के लिए संचार के स्वीकृत तरीकों के अनुसार) उधारकर्ताओं को
और यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के बदलाव ग्राहकों पर भावी प्रभाव से प्रभावित हों।

अस्थिर दर आधार पर प्रभारित ऋण सुविधाओं वाले उधारकर्ताओं को निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) या किसी भी बाहरी बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) में प्रत्येक परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य बेंचमार्क दरों (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर

निर्दिष्ट किया जा सकता है) से जुड़ी क्रेडिट सुविधाओं के लिए, बेंचमार्क दर में किसी भी संशोधन की सूचना उधारकर्ता को दी जाएगी।

5.7 बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रोसेसिंग के प्रभारों/शुल्कों से संबंधित सभी सूचना ऋण आवेदन फॉर्म में निरपवाद रूप से प्रकट की जाए. इसके अलावा, बैंक ग्राहक को 'ऑल-इन-कॉस्ट' सूचित करेंगे ताकि वह वित्त के अन्य स्रोतों के साथ प्रभारित दरों की तुलना करने में सक्षम हो सके।

6. पोस्ट संवितरण पर्यवेक्षण

छः.एक बैंक ऋण सुविधा करार में यथा उल्लिखित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त सामान्य बैंकिंग पद्धतियों के अनुसार संवितरण पश्चात पर्यवेक्षण करेगा.

छः.दो बैंक ऋण सुविधा के पूर्ण पुनर्भुगतान के तहत सभी प्रतिभूतियों को जारी करेगा। हालांकि, बैंक अभी भी कुछ प्रतिभूतियों को एक वैध दावे के रूप में रख सकता है, जो उधारकर्ताओं के खिलाफ बैंक के साथ उनके द्वारा प्राप्त अन्य क्रेडिट सुविधाओं के लिए, या बैंक के साथ अन्य उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त सुविधाओं के लिए सह-आवेदक या गारंटर के रूप में उनकी क्षमता में हो सकता है। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें बैंक के अवशिष्ट दावों के बारे में जानकारी होगी, साथ ही बैंक को प्रतिभूतियों को रखने का वैध अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज भी दिए जाएंगे जब तक कि दावों का पूरी तरह से निपटान नहीं हो जाता।

छः.तीन बैंक उधारकर्ताओं को क्रेडिट सुविधा समझौते द्वारा उल्लिखित एक उचित नोटिस अवधि देगा यदि वह पुनर्भुगतान को वापस लेने या तेज करने या अतिरिक्त प्रतिभूतियों और उच्च मार्जिन की तलाश करने का निर्णय लेता है। यह नियम लागू नहीं होगा यदि इस तरह के आयोजन क्रेडिट सुविधा समझौते में ही पूर्व-निर्धारित हैं। ऐसे मामले में, बैंक अपने विवेक पर पुनर्भुगतान को वापस ले सकता है/तेज कर सकता है या अतिरिक्त प्रतिभूतियों/उच्चतर मार्जिन की तलाश कर सकता है।

छः.चार यदि सभी देय राशियों की वसूली और अन्य सभी संबंधित खर्चों को पूरा करने के बाद कोई अतिरिक्त राशि शेष रहती है, तो इसे उधारकर्ता को विधिवत वापस कर दिया जाएगा बशर्ते कि बैंक का उधारकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य दावा न हो।

7. सामान्य

सात.एक बैंक उधारकर्ताओं के मामलों में खुद को शामिल नहीं करेगा, सिवाय इसके कि क्रेडिट सुविधा समझौते के तहत पहले से ही निर्दिष्ट है, जब तक कि नई जानकारी जो बैंक की राय में बैंक के हितों पर एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, सतह पर नहीं आती है। ऐसे मामले में, बैंक को बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक जानकारी

मांगने और प्राप्त करने का अधिकार होगा। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून के अनुसार बैंक का वसूली और प्रतिभूति के प्रवर्तन के साथ-साथ जहां आवश्यक हो, नामिती निदेशक की नियुक्ति का अधिकार इस प्रतिबद्धता से प्रभावित होता है।

सात.दो बैंक अपने ऋण परिचालन करते समय जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि, बैंक समाज के कमजोर वर्गों को ऋण से जुड़ी योजनाओं में भाग लेगा/पेश करेगा।

सात.तीन बैंक ऋण सुविधाओं की वसूली के लिए उत्पीड़न या बल प्रयोग का सहारा नहीं लेगा। इसके पास कानून के तहत सभी उपलब्ध साधनों का सहारा होगा और जैसा कि इसके बकायों की वसूली और वसूली के लिए क्रेडिट सुविधा समझौते में निर्दिष्ट है।

सात.चार ऋण सुविधा खाता अंतरण अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, उधारकर्ता द्वारा या किसी अन्य बैंक से शुरू किया गया, ऋण सुविधा को टेक-ओवर करने की पेशकश करते हुए, बैंक की अंतिम सहमति या आपत्ति अनुरोध प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर संप्रेषित की जाएगी।

सात.पाँच बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा (संपत्ति के खिलाफ ऋण जैसे संपत्ति, सावधि जमा आदि) प्रदान करेगा और अति आहरित राशि की गणना की प्रक्रिया के बारे में विवरण देगा और यह भी निर्दिष्ट करेगा कि क्रेडिट सुविधा राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी।

8. बैंकों द्वारा सूचना का प्रदर्शन

बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में ब्याज दरों और सेवा शुल्क से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करेगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सूचित निर्णय लेने के लिए नवीनतम जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल दी गई है।
बैंक अपनी वेबसाइट पर अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पिछली तिमाही के अनुबंधित ऋणों की ब्याज दर सीमा के साथ-साथ ऐसे ऋणों के लिए औसत ब्याज दरों को प्रदर्शित करेगा।

इसके अलावा, बैंक अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित को रखेगा:

- ऋण और अग्रिमों से संबंधित सीएएफ
- ऋणकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले रिक्त करार की प्रति
- ऋण सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए नियम और शर्तें
- प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क
- ऋण और अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंक द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और शाखाओं में भी प्रदर्शित की जाएगी।

बैंक ने इस नीति दस्तावेज में सीएएफ के निपटान के लिए समय-सीमा का उल्लेख किया है और निर्दिष्ट अवधि के बाद लंबित सीएएफ की समीक्षा के लिए एक उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करेगा।

एक समय सीमा निर्धारित करने से संबंधित प्राधिकार जिसके भीतर बैंक आवेदकों को अपने ऋण निर्णय की सूचना देता है, संबंधित उत्पाद स्वामियों के पास निहित होगा और बैंक द्वारा उधारकर्ता के साथ साझा किए गए ऋण आवेदन पत्र या पावती रसीद में दर्शाया जाएगा।
हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹ 25 लाख तक के ऋण के लिए क्रेडिट निर्णय 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगा।

9. शिकायतें, शिकायतें और प्रतिक्रिया

बैंक में "ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र" मौजूद है जो ग्राहकों की शिकायतों को निपटाने के लिए निवारण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ग्राहक शिकायत निवारण नीति दस्तावेज का उद्देश्य उचित सेवा वितरण और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों और शिकायतों के मामलों को कम करना और ग्राहकों की शिकायतों और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना है। ग्राहकों की शिकायतों को संभालने के लिए विभिन्न अधिकारियों के संपर्क विवरण का उल्लेख "ग्राहक शिकायत निवारण नीति" में किया जाएगा। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के अधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाए।

10. मुख्य कथन/फैक्ट शीट

बैंक सभी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में तथा किन्हीं निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्पष्ट, संक्षिप्त, एक पृष्ठ का मुख्य तथ्य विवरण/तथ्य पत्र उपलब्ध कराएगा.

11. शब्दावली

अवधि	परिभाषा
खाता होना	यह एयू लघु वित्त बैंक को संदर्भित करता है

सीएएफ	"क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म" का संक्षिप्त रूप, प्रारंभिक फॉर्म को संदर्भित करता है जिसे आवेदकों को बैंक से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भरना होगा
सीआईसी	"क्रेडिट सूचना कंपनी" के लिए संक्षिप्त नाम
ऋण सुविधा समझौता	यह बैंक और उधारकर्ता के बीच कानूनी समझौते को संदर्भित करता है जो क्रेडिट सुविधा के संवितरण की शर्तों को निर्दिष्ट करता है
आईबीए	"भारतीय बैंक संघ" का संक्षिप्त रूप
जेएलजी	"संयुक्त देनदारियों समूह" के लिए संक्षिप्त शब्द
एमसीएलआर	"मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट" का संक्षिप्त रूप
आरबीआई	"भारतीय रिज़र्व बैंक" का संक्षिप्त रूप
एसएचजी	"स्वयं सहायता समूह" के लिए संक्षिप्त नाम